न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 29/2026 बउनवानी मोहर सिंह बनाम प्रभारी अधिकारी भू0अ0 स0मा0 पुत्र श्री शिवजी लाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोरट बूचोलाई तह0 तलावडा
GCMS No-2026/28

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.3..2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग कार्यालय हाजा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर की अपील संख्या 136/2025 मोहर सिंह बनाम प्रभारी अधिकारी भू0अ0 निर्णय दिनांक 15.10.2025 की निर्णय प्रति जरिये पत्रांक 2797–2798 दिनांक 4.11.2025 की पालना मे अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना की प्रमाणित प्रति " प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2026/1327 दिनांक 27.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2440 दिनांक 30.4.2025 से वांछित सूचना के लिए कार्यालय मे उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करने बाबत लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा कार्यालय मे उपस्थित होकर नकल हेतु कोई आवेदन पेश नही किया। माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के अन्य प्रकरण आदित्य पाराशर बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर भरतपुर मे अपील संख्या RIC/BHRT/A/2024/007177 मे पारित निर्णय दिनांक 9.12.2024 मे स्पष्ट अंकित किया कि है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 से यह उल्लेखित किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम ,28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित नकलों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया District Manual and Revenue Court Manual के अनुरूप होगी। अर्थात ऐसी सूचनाऐ, सूचना का अधिकार अधिनियम के बजाय नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करके ही प्राप्त की जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम,1957 के नियम ,28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित नकलों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया District Manual and Revenue Court Manual के अनुरूप होने से ऐसी सूचनाऐ, सूचना का अधिकार अधिनियम के बजाय नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत करके ही प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलान्ट उक्त सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग के कार्यालय मे उपस्थित होकर नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner